[2018] 3 एस. सी. आर 435

डी. सरवनन

वी.

सुपरइंटेन्डिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी

वितरण चक्र और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 3763)

12 अप्रैल, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

बिजली कानूनः

तमिलनाडु विद्युत वितरण संहिता, 2004: खंड 27 -

ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अनुरोध-कृषि विद्युत सेवा कनेक्शन-आवेदन के अनुदान के लिए आवेदन इस दोष को इंगित करने के बाद वापस किया गया कि आवेदन में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे-दोषों को दूर करना और आवेदन को फिर से प्रस्तुत करना, हालांकि, प्रतिवादी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई-अपीलकर्ता द्वारा लिखित याचिका एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को निर्देश

550/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट-इसके बाद, कार्यकारी अभियंता द्वारा संचार किया गया कि रुपये के पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन जमा नहीं किया गया है। 50 / - -प्रस्तुत न करने के लिए अपूर्ण आवेदन के आधार पर एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाला प्रतिवादी पंजीकरण शुल्क-खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 2017 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जाए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः खंड 27 प्रत्यर्थियों पर आवेदन में दोषों को इंगित करने और उन्हें वापस करने का दायित्व डालता है-बिजली विभाग पंजीकरण शुल्क जमा न करना भी आवेदन में एक दोष है जैसा कि खंड 27 द्वारा विचार किया गया है-नोट जो प्रकृति में एक वैधानिक है, प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को वापस किए गए आवेदन में दोषों को सूचित करने के लिए बाध्य करता है।

-

प्रत्यर्थियों को इसकी निष्क्रियता या इसकी चूक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उस पर डाले गए वैधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं है-इस प्रकार, ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी के पूरे दावे को खारिज किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

06.12.2010 से अपने आवेदन की वरिष्ठता के संबंध में अपीलार्थी का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्तरदाता तुरंत

07.03.2011 पर दोष को इंगित किया और आवेदन वापस किया और 21.03.2011 पर फिर से जमा किया

अपीलार्थी के लिए हकदार

पुनः प्रस्तुत करने की तारीख से उसके आवेदन पर विचार

21.03.2011 .

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 तमिलनाडु विद्युत का खंड 27

वितरण संहिता, 2004 ने उत्तरदाताओं पर आवेदन में दोषों को इंगित करने और उन्हें वापस करने का दायित्व डाला। जब अपीलार्थी का आवेदन 07.03.2011 पर वापस किया गया था, तो केवल यह दोष इंगित किया गया था कि 'आवेदन में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं', न ही कोई अन्य दोष इंगित किया गया था और न ही यह बताया गया था कि Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा करे जो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आवश्यक है। उत्तरदाता एक पर भरोसा करते हैं

कृषि सेवा कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया। उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में, Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक था। पंजीकरण शुल्क जमा न करना भी आवेदन में एक दोष है जैसा कि संहिता, 2004 के खंड 27 द्वारा विचार किया गया है। नोट जो प्रकृति में एक वैधानिक है, प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को वापस किए गए आवेदन में दोषों को संप्रेषित करने के लिए बाध्य करता है। ऐसा कोई दोष नहीं है उत्तरदाताओं द्वारा Rs.50/- के पंजीकरण शुल्क की जमा राशि की ओर इशारा किया गया है और अब उत्तरदाताओं का पूरा मामला Rs.50/- के पंजीकरण शुल्क की जमा राशि की उपरोक्त कमी पर आधारित है। उत्तरदाताओं को इसकी निष्क्रियता या इसकी चूक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उस पर लगाए गए वैधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वीडियो

10.02.2017 का पत्र Rs.550/- का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया था जिसमें योजना अग्रिम के रूप में Rs.50/- और Rs.500/का पंजीकरण शुल्क शामिल था। उक्त मांग मसौदा उत्तरदाताओं द्वारा 20.02.2017 पर वापस कर दिया गया था। एकल द्वारा जारी किए गए निर्देश

न्यायाधीश ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, जिसके बारे में कहा जा सके कि यह किसी भी तरह से प्रत्यर्थियों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करता है। एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को केवल आवश्यक शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी।

सुपरिंटिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी वितरण चक्र और ओआरएस।

आवेदन जमा करने/दोषों को सुधारने के संबंध में। एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा कि जिस कमी को दिनांकित 07.03.2011 पत्र द्वारा इंगित किया गया था, उसमें Rs.50/- के प्रेषण में कमी का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, Rs.50/- का प्रेषण न करना ऐसा कारण नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी के पूरे दावे को खारिज किया जा सके। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके आवेदन पर मुफ्त कृषि सेवा कनेक्शन के तहत या संशोधित स्व-वित्तपोषण योजना (आर. एस. एफ. एस.) के तहत योजना की लागत का भुगतान करके Rs.10,000/- या Rs.25,000/- या Rs.50,000/- तय करके विचार किया जा सकता है।

1.2 जहाँ तक 06.12.2010 से अपने आवेदन की वरिष्ठता के संबंध में अपीलार्थी के दावे का संबंध है, वहाँ कोई नहीं है उसी को स्वीकार करने का झुकाव क्योंकि उत्तरदाताओं ने तुरंत 07.03.2011 पर दोष को इंगित किया और आवेदन वापस कर दिया। आई. डी. 1 पर पुनः प्रस्तुत किए गए आवेदन को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था क्योंकि कोई अन्य दोष नहीं बताया गया था। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलार्थी ने आवेदन पंजीकृत करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए कहा होगा। एल. पी. ए. में जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, 21.03.2011 पर आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने पर सवाल नहीं उठाया गया था, हालांकि, यह अनुरोध किया गया था कि फिर से प्रस्तुत करने के पांच साल बाद, रिट याचिका दायर की गई है। [पैरा 17] [443-एफ-एच]

1.3 यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी का आवेदन 21.03.2011 पर फिर से प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी अपने आवेदन को प्रस्तुत किए जाने पर विचार करने का हकदार था।

21.03.2011 . पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- का प्रेषण न करने के तुच्छ मुद्दे पर उत्तरदाता अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर रहे हैं। डिवीजन बेंच ने नोट किया कि अपीलार्थी एक है अधिवक्ता का अभ्यास करते हुए उन्हें नियमों के बारे में पता होना चाहिए था

और नियम। अपीलार्थी के मामले में कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि Rs.50/- जमा करने की आवश्यकता थी, केवल इसलिए विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि वह एक अधिवक्ता है। एक धारणा कि एक अधिवक्ता को कानून का ज्ञान होना चाहिए, उठाया जा सकता है, लेकिन यह कोई धारणा नहीं हो सकती है कि एक अधिवक्ता कृषि [2018] 3 एस. सी. आर. के लिए आवेदन करने के संबंध में सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से अच्छी तरह से अवगत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा संबंध। पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- का भुगतान प्रक्रिया का एक हिस्सा था। प्रक्रिया यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक योजना श्रेणीवार लागू होती है जिसका लाभ कोई भी उठा सकता था। कोई बहिष्कृत श्रेणी नहीं थी ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक अभ्यास करने वाला अधिवक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। [पैरा 18] [444-बी-ई]

1.4 डिवीजन बेंच ने बिना किसी आधार के स्वीकार करने से इनकार कर दिया

अपीलार्थी का रुख कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि Rs.50/- को पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा किया जाना था। उत्तरदाता लिखते समय 07.03.2011 दिनांकित पत्र में दिनांकित 06.12.2010 आवेदन में दोष और पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- के प्रेषण न करने के दोष को भी इंगित किया गया होगा जो मुकदमेबाजी और दोनों पक्षों के समय और शक्ति के नुकसान को दूर कर सकता था। उत्तरदाताओं को लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

07.03.2011 दिनांकित पत्र लिखते समय दोष की ओर इशारा नहीं करने में उनकी चूक। तथापि, अपीलार्थी के लिए हकदार था

उसके आवेदन पर केवल 21.03.2011 से प्रभाव से विचार किया जाता है, जो वह तारीख है जिस पर आवेदन फिर से जमा किया गया था और उत्तरदाताओं को दिनांकित 07.03.2011 पत्र द्वारा दोष को संप्रेषित नहीं करने में अपनी निष्क्रियता का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 19] [444-जी-एच; 445-ए-बी]

1.5 प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करें जो इसे पंजीकृत मानता है।

21.03.2011 , अर्थात। जिस तारीख को इसे फिर से प्रस्तुत किया गया था; अपीलकर्ता Rs.550/- का एक नया मांग मसौदा फिर से प्रस्तुत करेगा जिसे प्रतिवादी द्वारा 20.02.2017 पर वापस कर दिया गया था; और उत्तरदाता आवेदन को संसाधित कर सकते हैं और तीन महीने की अवधि के भीतर किसी भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित कर सकते हैं। [पैरा 20] [445-सी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3763

2018 से।

डब्ल्यू. ए. में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 1 से। (एम. डी.) 2017 की सं. 846।

एस. नागमुथु, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, सुश्री स्नेहा कलीता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विनोद कन्ना बी., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

डी. सरवनन बनाम सुपरइंटेन्डिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी जिला। चक्र

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांकित 28.06.2017 खंड पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट अपील। डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में आया है।

3. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, वे हैं:

अपीलार्थी ने उपयोग के लिए कृषि विद्युत सेवा कनेक्शन देने के लिए 06.12.2010 दिनांकित आवेदन प्रस्तुत किया है।

उनकी 5 एकड़ की कृषि भूमि के संदर्भ में कृषि उपकरणों की खरीद-फरोख्त। कार्यपालक द्वारा आवेदन वापस कर दिया गया था

इंजीनियर (वितरण) ग्रामीण, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, निम्नलिखित अवलोकन के साथः

" आपके द्वारा भेजे गए आवेदन पर वी. ए. ओ., ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और इसलिए वही है वापस लौट आए। ”

4. दोषों को हटाने के बाद अपीलार्थी ने 21.03.2011 पर आवेदन फिर से जमा किया। उक्त आवेदन रिट याचिका पर प्रत्यर्थियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के मामले पर ध्यान देने के बाद निम्नलिखित निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कियाः

" 4. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुति को रिकॉर्ड में रखा गया है। इसके लिए खुला है

याचिकाकर्ता के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए

आज से एक महीने की अवधि के भीतर पहले से दायर आवेदन में आवेदन जमा करना/दोषों को सुधारना और उसके बाद, उत्तरदाता इस पर विचार करेंगे -

कानून के अनुसार याचिकाकर्ता का आवेदन और उचित आदेश पारित करना, यदि कानून के भीतर कोई कानूनी बाधाएं नहीं हैं

उसके बाद एक महीने की अवधि।

उपरोक्त निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है

से। कोई लागत नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. दिनांकित विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश के अनुसरण में

20.01.2017 , अपीलार्थी ने 27.01.2017 पर अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जैसा कि पहले 06.12.2010 पर किया गया था, जिसमें प्रेषित किए जाने वाले शुल्क का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। आगे के आवेदन दिनांक 10.02.2017 द्वारा Rs.550/- का मांग मसौदा भी प्रस्तुत किया गया था। कार्यकारी अभियंता ने अपने दिनांकित 15.02.2017 पत्र के माध्यम से सूचित किया कि

अपीलार्थी का आवेदन कृषि बिजली सेवा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के अनुसार Rs.50/- के शुल्क के भुगतान के साथ जमा नहीं किया गया है और आगे उसने योजना अग्रिम जमा के लिए Rs.500/- जमा नहीं किया है। पत्र में कहा गया है कि यदि हाल के राजस्व दस्तावेजों के साथ Rs.50/- के शुल्क के साथ एक नया आवेदन दायर किया जाता है, तो आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर नया आवेदन माना जाएगा। इसके अलावा, दिनांक 20.02.2017 के पत्र द्वारा सहायक कार्यकारी अभियंता ने Rs.550/- के लिए मांग मसौदा लौटा दिया और अपीलार्थी से अनुरोध किया गया कि

15.02.2017 पर पहले की सलाह के अनुसार नए सिरे से आवेदन करें।

रिट अपील में) कानूनी पेशे का सदस्य होने के नाते नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक माना जाता है, इसलिए, अपीलार्थी को कोई छूट या अक्षांश नहीं दिया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता का प्रयास मुफ्त कृषि सेवा कनेक्शन देने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने में अपनी गलती का लाभ उठाना है। 9. उत्तरदाताओं द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें तमिलनाडु विद्युत वितरण संहिता, 2004 डी. सरवनन बनाम के प्रावधान हैं।

सुपरइंटेन्डिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी जिला। सिरकल [अशोक भूषण, जे.]

(इसके बाद 'संहिता, 2004') के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रतिवादियों ने खंड पीठ द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि 06.12.2010 दिनांकित अपीलार्थी का आवेदन Rs.50/- पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करने के कारण अधूरा था, इसलिए इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी दलील दी जाती है कि अपीलार्थी ने छह साल की देरी के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और गौर किया है

अभिलेखों को।

11. डिवीजन बेंच के फैसले से, जो इस अपील में विवादित है, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कृषि सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन वर्ष, 2017 में पंजीकृत है और प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार इस पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। एकमात्र इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी किसी भी पूर्व बिंदु से अपने आवेदन पर विचार करने का हकदार है। 12. उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे के अनुसार प्रत्येक वर्ष केवल सीमित कृषि सेवा कनेक्शन दिए जाते हैं, वह भी

आवेदन की वरिष्ठता का आधार। पक्षों के बीच इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मूल रूप से आवेदन 06.12.2010 पर कृषि सेवा कनेक्शन के लिए दायर किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति जताई गई थी-कार्यकारी अभियंता (वितरण) ने दिनांकित 07.03.2011 पत्र के माध्यम से कहा कि अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए आवेदन पर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और इसलिए उसे वापस कर दिया जाता है। अपीलार्थी ने ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त किए और 21.03.2011 पर आवेदन फिर से जमा किया। प्रत्यर्थियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 20.01.2017 पर प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना। अपीलार्थी को आवेदन जमा करने/दोषों को सुधारने के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद, कार्यकारी अभियंता ने बताया कि Rs.50/- के पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन जमा नहीं किए जाने के कारण, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी के लिए आवश्यक शुल्क के साथ एक नया आवेदन करने के लिए खुला है।

13. उत्तरदाता संहिता, 2004, खंड 27 (1) के प्रावधानों पर भरोसा करते हैं, जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रभाव से हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 27. ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आवश्यकताएँः

(1)

XXX

XXX

XXX

व्याख्याः - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

" "आवेदन" का अर्थ है आवेदन हर तरह से पूर्ण होना।

आवश्यक भुगतान दिखाने वाले दस्तावेजों के साथ लाइसेंसधारी शुल्क और अन्य अनुपालन। '

14. खंड 27 में ही निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक टिप्पणी हैः

" ध्यान देंः ऊर्जा की आपूर्ति (अनुप्रयोग) के लिए आवश्यकताएँ, यहाँ तक कि

यदि अधूरा है, और चाहे वे सौंपे गए हों या नहीं

व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा, लिखित रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

यदि वे क्रम में हैं, तो उन्हें तुरंत पंजीकृत किया जाएगा और

स्वीकार किया। यदि वे अधूरे हैं, तो दोष होने चाहिए

संकेत दिया और बिना पंजीकरण के लौटा दिया।

})

15. उपरोक्त प्रावधान, इस प्रकार, उत्तरदाताओं पर दायित्व डालता है

आवेदन में दोषों को इंगित करने और उन्हें वापस करने के लिए। जब अपीलार्थी का आवेदन 07.03.2011 पर वापस किया गया था, तो केवल यह दोष इंगित किया गया था कि 'आवेदन में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं', न ही कोई अन्य दोष इंगित किया गया था और न ही यह बताया गया था कि Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह Rs.50/का पंजीकरण शुल्क जमा करे जो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आवश्यक है। उत्तरदाता कृषि सेवा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, अनुलग्नक आर/1 को "प्रक्रिया प्राप्त करने के

लिए" शीर्षक के साथ दायर किया गया है। कृषि सेवा संपर्क ", जिसका खंड 7 निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 7. ऊपर उल्लिखित के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र

दस्तावेज़ कार्यकारी अभियंता/कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए।

अधिकार क्षेत्र का संचालन और रखरखाव कार्यालय चिंतित हैं। आवेदन को पंजीकृत करने के लिए Rs.50/- होना चाहिए

भुगतान किया। आवेदन दर्ज करने के बाद एक पावती

पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख का उल्लेख करना

आवेदक को दिया जाएगा।

16. इस प्रकार, उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में,

Rs.50/- का पंजीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक था। पंजीकरण शुल्क जमा न करना भी आवेदन में एक दोष है क्योंकि डी. सरवनन बनाम.

सुपरइंटेन्डिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी जिला। सिरकल [अशोक भूषण, जे.]

पंजीकरण शुल्क जमा न करने की उपरोक्त कमी के आधार पर Rs.50/-। क्या उत्तरदाताओं को इसकी निष्क्रियता या इसकी चूक का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है जो दिए गए वैधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं है

उस पर? इसका जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' होना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 10.02.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से Rs.550/- का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया था। जिसमें योजना अग्रिम के रूप में Rs.50/- और Rs.500/- का पंजीकरण शुल्क शामिल था। उक्त मांग मसौदा उत्तरदाताओं द्वारा वापस कर दिया गया था

20.02.2017 . विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों में, जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 4 में ऊपर निकाला गया है, ऐसा कोई निर्देश शामिल नहीं था, जिसे किसी भी तरह से, उत्तरदाताओं के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करने वाला कहा जा सके। विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल अपीलार्थी को आवेदन जमा करने/दोषों को सुधारने के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा है कि दिनांकित 07.03.2011 पत्र द्वारा बताई गई कमी में Rs.50/- के प्रेषण में कमी का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, Rs.50/- का प्रेषण न होना ऐसा कारण नहीं था जिसके आधार पर अपीलार्थी का पूरा दावा किया जा सके अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके आवेदन पर मुफ्त कृषि सेवा कनेक्शन के तहत या संशोधित स्व-वित्तपोषण योजना (आर. एस. एफ. एस.) के तहत भुगतान करके विचार किया जा सकता है।

योजना की लागत Rs.10,000/- या रु। 25,000 / - या 06.12.2010 से वरिष्ठता तय करके Rs.50,000/।

17. जहाँ तक वरिष्ठता के संबंध में अपीलार्थी का दावा है

06.12.2010 से उनके आवेदन का संबंध है, हम इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उत्तरदाताओं ने तुरंत 07.03.2011 पर दोष को इंगित किया और आवेदन वापस कर दिया। आवेदन जो 21.03.2011 पर फिर से जमा किया गया था, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था

उत्तरदाताओं को क्योंकि कोई अन्य दोष नहीं बताया गया था। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलार्थी ने आवेदन पंजीकृत करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा Rs.50/का पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए कहा होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि एल. पी. ए. में जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, 21.03.2011 पर आवेदन के पुनः प्रस्तुत करने पर सवाल नहीं उठाया गया था, हालांकि, यह अनुरोध किया गया था कि पुनः प्रस्तुत करने के पांच साल बाद, रिट याचिका दायर की गई है। रिट अपील के आधार 'ग' पर ध्यान देना उपयोगी होगा जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" सी। विद्वान न्यायाधीश को यह देखना चाहिए था कि रिट याचिकाकर्ता ने 06.12.2010 पर आवेदन प्रस्तुत किया है और 21.03.2011 पर फिर से प्रस्तुत किया है और इसमें रिट याचिका दायर की है।

वर्ष 2016 अर्थात पाँच वर्ष बीतने के बाद और दाखिल करने में देरी का कोई कारण नहीं बताया गया था।

18. हम, इस प्रकार, स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी का आवेदन 21.03.2011 पर फिर से प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी को यह मानने का अधिकार था कि उसका आवेदन 21.03.2011 पर प्रस्तुत किया गया है। द.

पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- का प्रेषण न करने के तुच्छ मुद्दे पर उत्तरदाता अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर रहे हैं। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि अपीलार्थी एक अधिवक्ता है और उसे नियमों और विनियमों के बारे में पता होना चाहिए था। अपीलार्थी के मामले में कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि Rs.50/- जमा करने की आवश्यकता थी, केवल इसलिए विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि वह एक अधिवक्ता है। एक अनुमान

कि एक अधिवक्ता को पता होना चाहिए कि कानून उठाया जा सकता है, लेकिन यह कोई धारणा नहीं हो सकती है कि एक अधिवक्ता कृषि सेवा के लिए आवेदन करने के संबंध में सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से अच्छी तरह से अवगत है।

जुड़ाव। पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- का भुगतान उत्तरदाताओं द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का एक हिस्सा था जैसा कि अनुलग्नक आर/1 से स्पष्ट है।

काउंटर के लिए-शपथ पत्र। प्रक्रिया अनुलग्नक आर/1 यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक योजना श्रेणीवार लागू होती है जिसका लाभ कोई भी उठा सकता था। कोई बहिष्कृत श्रेणी नहीं थी ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक अभ्यास करने वाला अधिवक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। प्रक्रिया (अनुलग्नक आर/1) स्पष्ट रूप से विचार करती हैः

" उ. निम्नलिखित श्रेणियों को निःशुल्क कृषि सेवा कनेक्शन दिया जा रहा है और बोर्ड पूरा अनुमान लगा रहा है।

लागत। आई .

सामान्यः

इस मामले में कोई भी आवेदन कर सकता है।

ii. XXX XXX

XXX।

19. हमारा विचार है कि खंड पीठ ने बिना किसी आधार के अपीलार्थी के इस रुख को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि Rs.50/- को पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा किया जाना था। प्रत्यर्थी ने दिनांक 07.03.2011 पर पत्र लिखते समय दिनांकित 06.12.2010 आवेदन में दोष और पंजीकरण शुल्क के रूप में Rs.50/- के प्रेषण न करने के दोष को भी इंगित किया होगा जिसमें डी. सरवनन बनाम हो सकता है।

सुपरइंटेन्डिंग इंजीनियर टैंगेडको टीएनईबी जिला। सिरकल [अशोक भूषण, जे.]

मुकदमेबाजी और दोनों पक्षों के समय और शक्ति के नुकसान को दूर किया।

दिनांकित पत्र 07.03.2011। तथापि, हमारा विचार है कि अपीलार्थी अपने आवेदन पर केवल निम्नलिखित प्रभाव से विचार करने का हकदार थाः 21.03.2011 यह वह तिथि है जिस पर आवेदन फिर से प्रस्तुत किया गया था और उत्तरदाताओं को दिनांकित 07.03.2011 पत्र द्वारा दोष को संप्रेषित नहीं करने में अपनी निष्क्रियता का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

20. हम, इस प्रकार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस अपील का निपटारा करते हैंः

(1) प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी के आवेदन को 21.03.2011, यानी इसे फिर से जमा करने की तारीख से पंजीकृत होने पर विचार करें।

(2) अपीलार्थी रुपये का नया मांग मसौदा फिर से प्रस्तुत करेगा। 550 /

जिसे उत्तरदाता द्वारा 20.02.2017 पर वापस कर दिया गया था।

(3) प्रत्यर्थी आवेदन को संसाधित कर सकते हैं और तीन महीने की अवधि के भीतर किसी भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित कर सकते हैं जिनका इस उद्देश्य के लिए अपीलार्थी द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता है।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

निधि जैन